न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 06/2019

तारीख रजू:—17.01.2019

भरतलाल पुत्र कजोडया जाति मीना निवासी जीरौता तहसील सपौटरा जिला करौली —अपीलान्ट

बनाम

राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 11.09.2019 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार तहसील सपोटरा मु0न0 164/2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जमनालाल धारा 91 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 15.4.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से अपील तहसीलदार सपोटरा के निर्णय दिनांक 11.9.2018 से अप्रसन्न होकर पेश कर अवगत कराया गया है कि खसरा नम्बर 1310 रकवा 1 वीधा चरागाह पर कोई अतिकमण नही किया गया है। तहसीलदार सपोटरा ने बिना कोई नोटिस व सुनवाई के एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये जो निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का का बयान लेख बद ना करते हुये साबित प्रदर्श नही किया गया है। छपे हुये प्रोफार्मा निर्णय पारित किया गया है। जो अदालत ने विवेक का प्रयोग ना कर निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। निर्णय की नकल नियमानुसार प्राप्त कर श्रीमान की सेवा मे अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई दोराने बहस अपने कथन मे अपील मीमो को दोहराते हुये भूमि पर कब्जा नही होना जाहिर करते हुये और अण्डर टेकिंग पेश की गई। जिसमे भूमि से कब्जा हटा लिया गया है। किसी प्रकार का कोई अतिकमण नही है। और भविष्य मे कब्जा नही करने बाबत भी निवेदन किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का जीरौता ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत खसरा नम्बर नम्बर 1310 रकवा 1 वीधा चारागाह पर बाजरा बौकर अतिकमण

मे अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत आराजीयात से अतिचार हटा लिया है। और भविष्य मे कभी भी अतिचार नही करने का अभिकथन किया है तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।फिर भी विवादित आराजी आम जन के [redacted] उपयोग उपभोग की है। जिस पर से अतिक्रमण हटना भी आवश्यक हैं ऐसी स्थिति मे हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 11.09.2018 का अपास्त किया जाता है। तहसीलदार को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपील अपीलान्ट की मौजूदगी मे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1310 रकवा 1 वीधा का मौका देखे यदि मौके पर अपीलान्टी/अतिकमी का अतिक्रमण पाया जाता है और मौके से अतिक्रमण नही हटाया जाता है। तो उसके खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की संशोधित धारा 91(6) के तहत नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.4.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली